"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2006—पौष 30, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/8/2006/वा.क. (आब.)/पांच (1).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) "विनिर्माण भाण्डागार" (मैन्यूफैक्चरिंग वेयर हाउस) से अभिप्रेत है, आसवनी परिसर में पृथक हाल या अनेक हाल में अवस्थित बंधित (बाण्डेड) मदिरा भाण्डागार, जिसमें देशी मदिरा के विनिर्माण हेतु परिशोधित स्पिरिट प्राप्त की जाये, भण्डारित की जाये, निर्गम शक्ति (इश्यू स्ट्रेन्थ) पर सम्मिश्रित/शक्ति कम करके बोतल बंद की जाये, सीलबंद की जाये और फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय देने के लिए मास्टर कॉर्टन में पैक कर, भण्डारण भाण्डागार (स्टोरेज वेयर हाउस) को निर्गमित की जाये."

2. नियम 3 के उप-नियम (1) में,

(1) खण्ड (क) में शब्दों "देशी स्पिरिट के विनिर्माण, बोतल भराई और थोक प्रदाय के लिए" के स्थान पर शब्दों "देशी मदिरा का सीलबंद बोतलों में मास्टर कॉर्टन पैक में भण्डारण भाण्डागार को थोक प्रदाय के लिए" को प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) खण्ड (ख) में शब्दों "प्रतिभूमि के रूप में आठ लाख रुपये" के स्थान पर शब्दों "प्रतिभूति के रूप में न्यूनतम पांच लाख रुपये" तथा शब्दों "दस लाख रुपयों से अनाधिक" के स्थान पर शब्दों "पच्चीस लाख रुपयों से अनाधिक" को प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 3 के उप-नियम (3) में शब्दों "विनिर्माण भाण्डागारों पर एसेन्सिंग, रंजित, सुवासित, रिड्यूसिंग, सम्मिश्रित आदि करके, देशी स्पिरिट का विनिर्माण करने तथा" को विलोपित किया जाये.

4. नियम 3-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"**3-ख देशी स्पिरिट का विनिर्माण तथा बॉटलिंग :—** किसी डी-1 अनुज्ञप्तिधारक को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नियत किये जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर राज्य के भण्डारण भाण्डागारों में आपूर्ति हेतु देशी मदिरा का विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा सी. एस. 1-ख में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी.

5. नियम 4 के उप-नियम (4) में,

(1) खण्ड (क) में शब्दों "प्रत्येक "विनिर्माण भाण्डागार" के स्थान पर शब्दों "आसवनी में स्थित" को प्रतिस्थापित किया जाये".

(2) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ख) सी. एस. 1ख अनुज्ञप्तिधारी, आसवनी परिसर में स्थित विनिर्माण भाण्डागार पर खाली बोतलों का उतना न्यूनतम स्टाक रखेगा, जो पूर्ववर्ती मास में प्रदाय की गई सीलबंद बोतलों की सात दिनों की औसत खपत (निर्गम) के समतुल्य हो."

6. नियम 4 के उप-नियम (12) में,

(1) शब्दों "लेबल लगाना" के पश्चात् शब्दों "मास्टर कॉर्टन में पैकिंग कराना" को अंतःस्थापित किया जाये.

(2) खण्ड (ग) को विलोपित किया जाये.

(3) खण्ड (घ) में शब्दों "विनिर्माण भाण्डागार" को विलोपित किया जाये.

7. नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) एवं (घ) को विलोपित किया जाये.

8. नियम 5 के उप-नियम (4) में,

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित सीलबंद बोतलों के प्रदाय में या भण्डारण भाण्डागारों में सीलबंद बोतलों का यथाविहित न्यूनतम स्टाक बनाए रखने में अनुज्ञप्तिधारी के असफल रहने की दशा में या क्षेत्र के किसी भण्डारण भाण्डागार पर सीलबंद बोतलों का स्टाक इतना कम हो जाए कि सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी की राय में फुटकर विक्रेताओं की वास्तविक मांग की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती हो, तो आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी अन्य सी. एस. 1 या सी. एस. 1 ख देशी मदिरा सीलबंद बोतलों में खुले बाजार की प्रचलित दर पर क्रय कर सकेंगे."

(2) खण्ड (घ) में शब्दों "किसी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर डी-1 या सी. एस. 1 अनुज्ञप्तिधारी स्पिरिट" के स्थान पर शब्दों "किसी सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर डी-1 या सी. एस. 1-ख अनुज्ञप्तिधारी स्पिरिट और/या सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा" को प्रतिस्थापित किया जाये.

9. नियम 6 के उप-नियम (1) में शब्दों "भारसाधक अधिकारी के द्वारा जारी पास न हो" के स्थान पर शब्दों "भारसाधक अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्ररूप सी. एस. 6 (क) में जारी पास न हो" को प्रतिस्थापित किया जाये.

10. नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"7-क अन्य राज्यों से मास्टर कॉर्टन में पैकिंग कर सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा आयात करने की दशा में उस पर रुपये 0.75 (पचहत्तर पैसे) प्रति प्रूफ लीटर की दर से आयात शुल्क देय होगा."

11. नियम 10-क में शब्द "विनिर्माण भाण्डागार" जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द, "आसवनी स्थित विनिर्माण भाण्डागार" प्रतिस्थापित किये जाये.

12. नियम 12 के उप-नियम (4) में शब्द एवं अंक "सी. एस. 1" के स्थान पर शब्द एवं अंक "सी. एस. 1 ख" तथा शब्द "स्पिरिट" जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "स्पिरिट और/या सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा" प्रतिस्थापित किया जाये.

13. प्ररूप सी. एस. 1 में विद्यमान शीर्षक "सील्ड बोतलों में संविदा प्रदाय पद्धति के अधीन प्रदाय क्षेत्र .... में देशी स्पिरिट के थोक प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति" के स्थान पर शीर्षक "आसवनी स्थित विनिर्माण भाण्डागार द्वारा भण्डारण भाण्डागारों के माध्यम से फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति" प्रतिस्थापित किया जाये.

14. प्ररूप सी. एस. 1-क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाये, अर्थात् :-

प्ररूप सी. एस. 1-ख

देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति
(नियम 3-ख देखिए)

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-ख के अधीन तथा .... रुपये फीस के प्रतिफल स्वरूप यह अनुज्ञप्ति आसवनी हेतु प्ररूप डी-1 के अनुज्ञप्तिधारक .... को देशी मदिरा का विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए .... से .... तक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रदान की जाती है :-

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, सभी प्रकार की देशी मदिरा राज्य शासन द्वारा निर्धारित तेजी के अनुसार पेय प्रासव से विनिर्माण करेगा.

2. अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी निविदा सूचना की समस्त शर्तों का पालन करेगा.

3. अनुज्ञप्तिधारी, देशी मदिरा को तैयार करने के लिए केवल ऐसे एसेन्स एवं खाद्य रंगों का प्रयोग करेगा, जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये हों.

4. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मदिरा की भराई एवं पैकिंग आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार की जायेगी.

5. अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपबन्धों का या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों/अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर इस अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा.

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़

15. प्ररूप सी. एस. 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाये, अर्थात् :-

प्ररूप सी. एस. 6-(क)
[नियम 6 (1) देखिए]

भाग - एक (जारी किये जाने वाले विनिर्माण भाण्डागार में रखी जाए)

भाग - दो (परिवहनकर्ता अनुज्ञप्तिधारी को सौंपी जाए. इस भाग में परिवहन के दौरान परेषण सम्मिलित होगा)

भाग - तीन (गन्तव्य स्थल के भण्डारण भाण्डागार के भारसाधक अधिकारी को भेजा जाये)

क्रमांक .... तारीख ....

सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा परिवहन हेतु अनुज्ञा-पत्र

प्ररूप सी. एस. 1 ख में अनुज्ञप्ति के धारक .... को उसकी .... स्थित अनुज्ञप्त आसवनी (विनिर्माण भाण्डागार) से .... भण्डारण भाण्डागार .... तक नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के परिवहन के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जाता है. यह अनुज्ञा-पत्र केवल .... तक विधिमान्य होगा. परेषण को .... व्हाया .... होकर उसके गन्तव्य स्थान तक ले जाया जाएगा.

(परिवहन की जा रही सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की विशिष्टियां)

क्रमांक	सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विवरण	पैकेजों (मास्टर कॉर्टन) की संख्या	बल्कलीटर में मात्रा	शक्ति	प्रूफलीटर में मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

उपरोक्त परेषण के साथ वाहन क्रमांक .... तारीख .... को .... पूर्वान्ह/अपरान्ह में रवाना हुआ.

तारीख

भारसाधक अधिकारी
सी. एस. 1-ख

2. उपरोक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक एफ-10/8/2006/वा.क. (आब.)/पांच (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10/8/2006/वा.क. (आब.)/पांच (1), दिनांक 20 जनवरी, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 20th January 2006

NOTIFICATION

No. F-10/8/2006/CT (Ex.)/V (1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of Sub-Section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

1. Clause (a) of Rule 2 shall be substituted by the following clause, namely :—

"(a) "Manufacturing Warehouse" means a bonded warehouse situted in a separate hall or halls in the distillery campus where in rectified spirit for the manufacturing of Country Liquor is received, stored, blended/reduced, bottled at issue strength, sealed packed in Master Cartons and supplied to the storage warehouses for giving issues to retail licensees."

2. In sub-rule (1) of Rule 3;

(1) In clause (a) for the words "for manufacture, bottling and wholesale supply of country spirit" the words "for wholesale supply of country liquor in sealed bottles packed in Master Cartons to storage warehouses" shall be substituted.

(2) In clause (b) for the words "amount of Rupees Eight lakh as security" the words "amount of Rupees Five lakh minimum as security" and for the words "not exceeding Rupees Ten lakh" the words "not exceeding Rupees Twenty Five lakh" shall be substituted.

3. In sub-rule (3) of Rule 3 the words "to manufacture of Country Spirit, by essencing, colouring, flavouring, reducing, blending etc. at the manufacturing warehouses" shall be omitted.

4. After Rule 3-A the following Rule shall be added, namely :—

"3-B Manufacture and Bottling of Country Liquor :— A licence in Form C.S. 1-B may be granted by the Excise Commissioner to a holder of D-1 licencee for manufacture and bottling of country liquor for supply to storage warehouses of the State on payment of an amount of licence fee as may be prescribed by the State Government from time to time".

5. In sub-rule (4) of Rule 4;

(1) In clause (a) for the words "each "manufacturing warehouse" the words "situated in the Distillery" shall be substituted".

(2) The clause (b) shall be substituted by the following clause, namely :—

"(b) The C.S. 1-B licencee shall maintain minimum stock of empty bottles in the manufacturing warehouse situated in the distillery, which will be equivalent to the average of seven days issue of sealed bottles in the preceding month.

6. In sub-rule (12) of Rule 4;

(1) After the words "labeling" the words "packing in master cartons" shall be inserted.

(2) Clause (c) of sub-rule (12) of Rule 4 shall be omitted.

(3) In clause (d) the words "manufacturing warehouse" shall be omitted.

7. In sub-rule (3) of Rule 5;

(1) Clause (c) and (d) shall be omitted.

8. In sub-rule (4) of Rule 5;

(1) The clause (a) shall be substituted by the following clause, namely :—

"(a) In the event of failure of the licensee to supply country liquor in sealed bottles as required under these rules, or to maintain minimum stock of sealed bottles at the storage warehouses as prescribed or when the stock of sealed bottles at any warehouse in the area decreses so much that in the opinion of the Assistant Commissioner Excise/District Excise Officer, the genuine demand of the retail vendors cannot be met filly, the Assistant Commissioner/ District Excise Officer authorised by the Excise Commissioner may purchase country liquor in sealed bottles from other C.S.1 or C. S. 1 B licencees at the prevalent open market rate".

(2) In clause (d) for the words "on demand by any District Excise Officer the D-1 or CS-1 licencee shall forthwith dispatch Spirit" the words "on demand by any Assistant Commissioner Excise/District Excise Officer, the D-1 or C. S. 1-B licensee shall forthwith dispatch spirit and/or country liquor in sealed bottles." shall be substituted.

9. In sub-rule (1) of Rule 6 for the words "unless accompanied by a pass from the Officer-In-Charge" the words "unless accompanied by a pass issued in prescribed Form C.S.6 (a) by the Officer-In-Charge" shall be substituted.

10. After Rule 7, the following Rule shall added, namely :—

"7-A In the event of importation of sealed bottles of country liquor packed in Master Cartons, from other State, the Import Fee at the rate of Rs. 0.75 (seventy five paise) per proof litre will be leviable."

11. In Rule 10-A for the words "manufacturing warehouse" where ever they occur the words "Manufacturing warehouse situated in the Distillery" shall be substituted.

12. In Sub-rule (4) of Rule 12 for the words and figures "C.S.-1" the words and figures "C.S. 1-B" and for the word "Spirit" the words "Spirit and/or country liquor in sealed Bottles" shall be substituted.

13. In the Form C.S.-1 for the existing heading "Licence for wholesale supply of County Sipirit in Sealed Bottles under the contract supply system in .... supply area" the heading "licence for the supply of Country liquor in sealed bottles to the retail licensees from the manufacturing warehouse situated in the Distillery through the storage warehouses" shall be substituted.

14. After Form C.S. 1-A, the following Form shall be added namely :—

FORM C.S. 1-B

LICENCE FOR THE MANUFACTURE AND BOTTLING OF COUNTRY LIQUOR
(See Rule 3-B)

Under Rule 3-B of the Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995 and in consideration of a fee of Rs. .... this licence is granted to .... the holder of licence in Form D-1 for distillery, for manufacturing and bottling of country liquor from .... to .... with subject to the following conditions :—

CONDITIONS

1. The licensee shall manufacture country liquor of the strengths approved by the State Government from potable Spirit.

2. During the period of licence the licencee shall observe all the conditions of Tender Notice.

3. The licencee will use only such essences and food colours for the preparation of country liquor which are approved by the Excise Commissioner.

4. The licencee shall bottling and packing of the country liquor shall be done by the licencee according to the instructions given by the Excise Commissioner in this regard from time to time.

5. On breach of any of the condition of this licence or the provisions of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 and rules made thereunder or guide lines/instructions issued by the Excise Commissioner, this licence may be cancelled by the Licencing Authority.

Excise Commissioner
Chhattisgarh

15. After Form C.S. 6 the following Form shall be added namely :—

FORM C.S. 6 (A)

[See Rule 6 (1)]

Part-I (To be retained in the issuing manufacturing warehouse)

Part-II (To be handed over to the transporter licencee. This part shall cover the consignment during transportation.)

Part-III (To be sent to the Officer-In-Charge of the storage warehouse of the destination).

No. Date :

PERMIT FOR TRANSPORTATION OF COUNTRY LIQUOR IN SEALED BOTTLES

...., the holder of licence in Form C.S. 1-B, is hereby permitted to transport country liquor in sealed bottles as per the datails given below from his licensed distillery (manufacturing warehouse) situated at .... to .... storage ware-house. This permit shall be valid .... upto .... only. The consignment shall be transported via .... to the destination.

(Particulars of the Country Liquor in sealed bottles being transported)

No.	Description of country liquor in sealed bottles	No. of packages (Master Cartons)	Contents in Bulk litre	Strength	Contents in Proof litre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Vehicle No. .... with the above consignment has started off on .... at .... AM/PM.

Officer-In-Charge
CS-1-B

2. Above amendments shall be deemed to have come into force with effect from the 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.